न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/6209/2005/भरतपुर

1. रेवती पुत्र वासी
2. किशन पुत्र वासी
3. शोभाराम पुत्र वासी
4. रतन पुत्र नत्थी
5. रामसिंह पुत्र नत्थी
6. भगवानसिंह पुत्र नत्थी
7. श्यामसिंह पुत्र स्व0 अतीराम, समस्त जाति जाटव, निवासी गुरधा नदी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर।

------अपीलान्ट्स

बनाम

1. कपूरचंद पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति वैश्य
2. मंशो पुत्र रामबाबू जाति बागडी ब्राह्मण
3. राधे पुत्र रामबाबू जाति बागडी ब्राह्मण
4. प्रकाश पुत्र रामबाबू जाति बागडी ब्राह्मण, निवासी गुरधा नदी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर।

------ रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री माधवराजसिंह, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय **दिनांक :– 10.10.2024**

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर की अपील संख्या 72/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपजिलाधीश, बयाना के समक्ष एक राजस्व वाद

अपील डिक्री/टीए/6209/2005/भरतपुर
रेवती बनाम कपूरचन्द

अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि आराजी खसरा नं0 792 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम गुरधा नदी, तहसील बयाना का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे को स्वीकार किया जाकर डिक्री करने की प्रार्थना की तथा वाद में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरूद्ध दिनांक 26–02–1981 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुये। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–12–1981 से वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2005 से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–1981 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2005 से व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमें अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कुन्दन की मृत्यु दिनांक 21–06–1979 को होना मानकर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अपील जो कि उन्होंने डिक्री के 24 साल बाद पेश की तथा

मियाद को क्षमा करने में विधिक भूल कारित की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विपक्षी कपूरचन्द का कोई जवाबदावा व जवाब परीक्षण न्यायालय के समक्ष न होते हुए भी उसकी सम्पूर्ण अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय की डिक्री को निरस्त कर दिया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा फर्जी है व विपक्षी कपूरचन्द का मृतक कुन्दन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कपूरचन्द जाति से वैश्य है और मृतक कुन्दन जाति से ब्राह्मण था तथा विपक्षी ने वसीयत को किसी भी प्रकार से साबित नहीं कराया है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वसीयत किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय ने महज वसीयत पंजीकृत होने के आधार पर ही विपक्षी को कुन्दन का वारिस मानकर डिक्री को 24 वर्ष बाद अन्दर मियाद मानने में विधिक भूल कारित की है। विपक्षी ने रामस्वरूप जो कि वासी का पुत्र है उसे पक्षकार न बनाकर अपील पेश की है। विपक्षी की अपील आवश्यक पक्षकारों के अभाव में काबिल निरस्तनीय थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2005 निरस्त फरमा कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–1981 को बहाल रखने का निवेदन किया।

5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि प्रतिवादी कुन्दन ने वकालतनामा पर इकबाली जवाब पेश किया तथा दिनांक 26–02–1981 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा हुई, उसके उपरान्त निर्णय हुआ। दिनांक 21–06–1978 को ही कुन्दन मर चुका था। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। बउनवानी जगन बनाम ग्यारसी दावे में कुन्दन की मृत्यु होना बताकर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। कुन्दन की तामील ही नहीं हुई है तथा कुन्दन कभी हाजिर नहीं हुआ। विद्वान अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय उचित एवं न्याय संगत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

अपील डिक्री/टीए/6209/2005/भरतपुर
रेवती बनाम कपूरचन्द

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उपजिलाधीश, बयाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–1981 में अंकित किया है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

8– विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2005 में अंकित किया है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–1981 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय उप जिलाधीश, बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 31–12–1981 में अंकित किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033 लगायत 2036 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि कुन्दन व ग्यारसिया पि0 भीखा की खातेदारी की है तथा वादी शिकमी साल 14 से है। इस खसरा के खाना नं0 24 में अंकित इन्द्राज से यह भी पाया जाता है कि ग्यारसिया के बजाय कुन्दन का नाम जरिये इन्तकाल सं0 441 दिनांक 04–11–1977 मन्जुर हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का खातेदार अकेला कुन्दन होना स्पष्ट है। वादी ने अपने बयान में कहां है कि वह विवादग्रस्त भूमि को 16–17 साल से जोतता चला आ रहा है। साक्षी नत्थी ने भी अपने बयान में भी वादी को 17 साल से जोतता आना कहां है। साक्षी ईश्वरा ने अपने बयान में कहां है कि उसने जब से सूरत संभाली है तभी से वादी को जोतते बोते देखा है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा तथा बयान गवाहान से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि का वादी सम्वत् 2019 से शिकमी काश्तकार है। धारा 19 (1 ए ए) टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31–12–1969 से पूर्व तक के शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है।

अपील डिक्री/टीए/6209/2005/भरतपुर
रेवती बनाम कपूरचन्द

10– विद्वान परीक्षण न्यायालय उप जिलाधीश, बयाना ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि विवादग्रस्त भूमि वादी सम्वत् 2019 से शिकमी काश्तकार है। धारा 19 (1 ए ए) टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31–12–1969 से पूर्व तक के शिकमी काश्तकारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

11– वादी ने दावे के पैरा नं0 1 में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा ग्राम गुरधा नदी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर में स्थित है कि जिसका वादी खातेदार काश्तकार काबिज है तथा सम्वत् 2012 से पूर्व से अब तक बदस्तूर वादी ही खातेदार काश्तकार व काबिज चला आ रहा है। राज लगान भी वादी ही अदा करता चला आ रहा है लेकिन वादी ने अपने दावे के उक्त कथन के समर्थन में कोई राजस्व रिकॉर्ड न्यायालय में पेश नहीं किया है, न ही कोई लगान की रसीदें इत्यादि प्रस्तुत की हैं।

12– विद्वान न्यायालय उप जिलाधीश, बयाना ने अपना निर्णय खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033–2036 के आधार पर पारित किया है जबकि खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड ऑफ राईट नहीं हैं तथा उसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, जिससे स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय उप जिलाधीश, बयाना का निर्णय दिनांक 31–12–1981 विधिसम्मत न होकर काबिले खारिजी है।

13– विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29–11–2005 में अंकित किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033 से 2036 के आधार पर पारित किया है जबकि खातेदारी के संबंध में रिकॉर्ड ऑफ राईट अहम दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया। खातेदार कुन्दन की मृत्यु दिनांक 21–06–1979 को ग्राम गुरधा नदी में होने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन द्वारा जारी प्रस्तुत किया गया जबकि दावे में उसके नाम से इक्बालदावा 1980 में प्रस्तुत किया गया जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण रेस्पो0 व अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया है। यही नहीं दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 15–08–1980 तक बिना नोटिस व सम्मन दिये कुन्दन की उपस्थिति सीधे ही न्यायालय में बताकर दिनांक

अपील डिक्री/टीए/6209/2005/भरतपुर
रेवती बनाम कपूरचन्द

26–02–1981 को तथा कथित अपूर्ण व अप्रमाणित राजीनामे के आधार पर एवं दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में बिना शिनाख्त के मृतक के विरुद्ध माना गया राजीनामा अपने आप में संदेहास्पद एबइनिसियो वाईड है। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में रजिस्टर्ड वसीयत कुन्दन की प्रस्तुत की, जिसके विरूद्ध में रेस्पो0 द्वारा सिविल कोर्ट से अवैध करार देने का कोई आदेश पेश नहीं किया जिससे वसीयत की वास्तविकता या असलीयत पर संदेह किया जा सके। रेस्पो0/वादी को चाहिए था कि वे इस वसीयत को सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट से कैन्सिल व अवैध घोषित कराते जो नहीं कराई गई जिससे इसकी वास्तविकता वैधता पर न्यायालय को विश्वास करना आवश्यक है। इस वसीयत में मृतक कुन्दन ने अपनी चल–अचल सम्पत्ति तथा कृषि व अकृषि भूमि को अपीलांट के नाम वसीयत की है जिसके माध्यम से वह उक्त आराजी का खातेदार बनता है।

रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा दावे के मद नंबर एक में उक्त आराजी पर संवत् 2012 से काबिज माना है किन्तु इस बिन्दु के समर्थन में कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया तो दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय ने यह डिक्री रेस्पो0/वादी को बिना रिकार्ड के शिकमी काश्तकार का आधार मानकर दिये जो निर्णय इन द आई आफ लॉ गलत है। राजस्व रिकार्ड खतौनी संवत 2016–19, 2017–20, 2021–24, 2025–28 के जमाबन्दियों के रिकार्ड आफ राइट में वादी रेस्पो0 को राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह सिद्ध करना चाहिए था। दे हैव टू स्टेण्ड देयर आन लेगस्। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड के विपरीत गलत डिक्री जारी की है। वरवक्त बहस रेस्पो0 द्वारा आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ एक लिखावट प्रस्तुत की जो तथाकथित गंगाजी के पण्डे की बताई गई है किन्तु इसमें हाथ की लिखावट भिन्न–भिन्न होने से एवं प्रमाणित नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं मानने से प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है दूसरी ओर अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत एवं राजस्व रिकॉर्ड उक्त जमाबन्दियों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जो एक पब्लिक एवं प्रमाणित दस्तावेज होने से उन पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता जो साक्ष्य में पठनीय व ग्राह्य योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्व रिकार्ड के विपरीत मृतक व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री बिना सम्मन व

अपील डिक्री/टीए/6209/2005/भरतपुर
रेवती बनाम कपूरचन्द

तामिली के एकतरफा डिक्री तथा वाद की रिलीफ संवत् 2012 से कब्जा होने की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के विपरीत शिकमी दर्ज होने की रिलीफ देना स्वतः ही विरोधाभाषी कथनों व रिकार्ड के विपरीत होने से तथा विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है जबकि अपीलांट उक्त आराजी पर जरिये रजिस्टर्ड वसीयत एवं रिकार्ड से खातेदार सिद्ध होने से अपील स्वीकार योग्य है तथा वाद वादी रेस्पो0 एवं निर्णय अधीनस्थ न्यायालय रिकार्ड के तथ्यों के विपरीत व विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

14– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया उचित है।

15– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

16– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(आर0डी0मीणा)
सदस्य